



इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4779/2026

प्रिंस @ प्रिंस कुमार

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और 3 अन्य

..... विरोधी पक्षकार

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : योगेश कुमार मिश्रा, धर्मेन्द्र कुमार यादव, श्रद्धा चतुर्वेदी

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. विरोधी पक्षकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कौशलेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेखों पर लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 27/2026, अंतर्गत धारा 64(1), 137(2) और 87 भारतीय न्याय संहिता, तथा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 पुलिस स्टेशन- जायस , जिला अमेठी में विचारण के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, यह आरोप है कि जब वादी मुकदमा की बेटी शौच के लिए गई थी, तब आवेदक उसे अपने साथ ले गया था। उन्होंने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक और कथित पीड़िता बालिग हैं, उनका विवाह हो चुका है और वे पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की ओर दिलाया और कहा कि उक्त बयान अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त कर देता है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक को जेल में रखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इससे आवेदक और कथित पीड़िता के वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा और आपराधिक कार्यवाही जारी रहने से पीड़िता को मानसिक आघात भी लग सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 15.04.2026 से जेल में बंद है। आवेदक वचन देता है कि जमानत पर रिहा होने पर वह मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विरोधी पक्षकार संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के मामले का समर्थन करते हुए कहा कि पीड़िता स्वयं आवेदक के साथ गई थी और आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक और कथित पीड़िता का विवाह हो चुका

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है और पीड़िता के परिवार वालों ने अपनी नाराजगी के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्क का विरोध किया।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर, यह प्रतीत होता है कि कथित पीड़ित अब बालिग है। जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में किए गए विशिष्ट कथनों के अनुसार, आवेदक और कथित पीड़ित ने विवाह संपन्न कर लिया है। धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज पीड़ित का बयान भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है। इस न्यायालय ने विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर भी विचार किया है।

8. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, साथ ही इस तथ्य पर भी कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, वह 15.04.2026 से जेल में है, और उसने विचारण की कार्यवाही में सहयोग करने और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने का वचन दिया है, मैं इसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ।

9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **प्रिंस उर्फ प्रिंस कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(1) आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(2) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है;

(3) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप विरचित और (iii) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। और

(4) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगी।

10. जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां इस जमानत आवेदन के निपटारे तक ही सीमित हैं और मामले की गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

29 जून, 2026

दिव्या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।